सांस्कृतिक प्रवाह

शोध पत्रिका

SANSKRITIK PRAVAH

Research Journal

वर्ष 9 अंक 1 फरवरी, 2022

Bi-annual Bi-lingual

A Multi Disciplinary Peer Reviewed (Refereed)
Research Journal
Dedicated to Socio-Cultural Harmony.

अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान, जयपुर (राज.)

Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur, Rajasthan

www.sanskritikpravah.com

Subscription Rate

Institution & Library	-	Rs. 2200 (5 years)	Rs. 6000 (15 years)
Individuals (Rajasthan)	-	Rs. 950 (5 years)	Rs. 2600 (15 years)
(Out of Rajasthan)	-	Rs. 1000 (5 years)	Rs. 2800 (15 years)
Single Copy	-	Rs. 125/-	

Subscription may be sent by cheques/drafts drawn in favour of
Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan

The responsibility for the facts stated, opinions expressed or conclusions reached is entirely that of the authors / contributors and the **'Sanskritik Pravah' Research Journal** accepts no responsibility for them.

---

orrespondence and Contact

सांस्कृतिक प्रवाह

बी-19, मधुकर भवन, न्यू कॉलोनी, जयपुर-302001

E-mail : editor.sprj@gmail.com
: ramsjaipur@gmail.com
website : www.sanskritikpravah.com
Contact : 0141-4038590 (4 PM Onwards), 094143-12288 (Chief Editor)
094600-70031(Editor)

Published by : Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur, Rajasthan (India)
B-19, Madhukar Bhawan, New Colony, Jaipur-302001

Printed at : Kumar & Company, Jaipur

ISSN 2348-2796

सांस्कृतिक प्रवाह

शोध पत्रिका

वर्ष 9 अंक 1 फरवरी, 2022

अर्द्धवार्षिक द्वि-भाषी

सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय के लिए
समर्पित एक बहु-विषयात्मक शोध पत्रिका

website : www.sanskritikpravah.com

अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान

बी-19, मधुकर भवन, न्यू कॉलोनी, जयपुर-302001

Sanskritik Pravah Research Journal

Patron

Sh. Ramprasad
Social Worker & Guardian, Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur (Raj.)

Editorial Advisory Board

Dr. Kuldeep Chand Agnihotri
Ex Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala (H.P.)

Prof. Bhagirath Singh
Vice Chancellor,
Pandit Deen Dayal Upadhyay University, Sikar (Raj.)

Dr. Bhagwati Prasad Sharma
Ex. Vice Chancellor, Gautam Buddha University, Greater Noida (U.P.)

Prof. J. P. Sharma
Ex Vice Chancellor,
MLS University, Udaipur (Raj.)

Prof. M. L. Chhipa
Ex Vice Chancellor,
A.B. Vajpayee
Hindi University, Bhopal (M.P.)

Prof. Vibha Upadhyay
Ex. Head, Department of History and Indian Culture, University of Rajasthan, Jaipur

Prof. Alpana Kateja
Professor of Economics,
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Shreerang Godbole
Endocrinologist, Social Worker & Writer,
Pune (Maharastra)

Managing Editor

Dr. Ram Karan Sharma
Ex- Principal & Head,
Deptt. of Law and Management,
NIMS University, Jaipur (Raj.)
H-28, Haldighati Marg,
Jaipur-302018

Chief Editor

Sh. Ram Swaroop Agrawal
Ex Principal, Govt. Law College,
Kota & Sriganganagar (Raj.)
72/25, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020
E-mail : ramsjaipur@gmail.com
Mobile : 09414312288

Editor

Dr. Gopal Sharan Gupta
Secretary,
Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvay Sansthan, Jaipur
Mobile : 09460070031

Associate Editor

Dr. Indrajeet Bhattacharya
Member, Museum Association of India,
Member, ICOMOS INDIA
Res. : 143, Indira Colony, Bani Park, Jaipur
E-mail : indrajeet201070@gmail.com
Mobile : 9571806910

Editorial Board

Dr. Ashutosh Pant
Chairman, Fluorecent Group of, Institutions,
Sec -26, Near N.R.I Circle, Pratap Nagar, Jaipur - 302033
17, Nandpuri, Malviya Nagar, Jaipur-302017
E-mail : pant_ashutosh@rediffmail.com,
Mobile : 09636770535

Dr. Sunil Asopa
Professor, Deptt. of Law,
J.N.V. University, Jodhpur
61-B, Laxmi Nagar, Jodhpur-324006,
E-mail : sunasopa@gmail.com,
Mobile : 09414294406

Dr.Pramila Dubey,
(B.Sc.,B.Ed.,M.A.- English, History and Psychology, M.Ed. Ph.D.) Dean, faculty of Education
(University of Rajasthan) , Principal,
SSG Pareek P.G. College of Education, Banipark, Jaipur

Dr. Satish Chand Agrawal
Assistant Professor, Deptt. of Poltical Science,
M.L.S. University, Udaipur (Raj).
Plot No. 9, Agrasen Nagar, Udaipole, Udaipur-313001
E-mail : satish.political@gmail.com ,
Mobile : 09783055596

Dr Kailash Chand Gurjar
Assistant Professor, Deptt. of History,
M.L.S. University, Udaipur(Raj)
W- 6 , Nehru Hostel, Hiran Magari,
Sector -3, Udaipur-313001
E-mail : kailashchand191977@gmail.com
Mobile:9929089995

About Contributors of this issue

1. **प्रो. कैलाश सोडाणी**

   महर्षि दयानन्द सरस्वति विश्वविद्यालय, अजमेर तथा गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कुलपति रहे। 30 से ज्यादा पीएच.डी. शोधार्थियों का निर्देशन किया। 6 पुस्तकें तथा कई लेख/शोध पत्र प्रकाशित। दो पुस्तकें संपादित भी कीं। वर्तमान में कई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक समिति, बोर्ड एवं निकायों के अध्यक्ष या सदस्य हैं।

2. **डॉ. सुजीत सरोच**

   समाज विज्ञानी-समाज शास्त्री, जनसांख्यिकीकार, सामाजिक कार्यकर्ता। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित शोधपत्र स्टॉकहॉम्स स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम में शोध पत्र पढ़े एवं 135 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के धर्म व स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया। डेढ़ दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन। इन्हें असाधारण प्रतिभा के लिए 'रेंशी' उपाधि से नवाजा गया। **संप्रति** - एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, पालनपुर, हिमाचल प्रदेश

3. **गुलाब बत्रा**

   यूनीवार्ता UNI के समाचार संपादक रहे हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा एन.यू.जे.आई. के महासचिव भी रहे। 'समाचारों की दुनिया में' पुस्तक प्रकाशित तथा कई राष्ट्रीय स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में सतत लेखन करते रहे हैं। नारद पुरस्कार, नंद किशोर पारीक पत्रकारिता पुरस्कार, अशोक माथुर मिडिया सम्मान एवं मेहरानगढ़ पर्यावरण संस्थान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। संप्रति - स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता।

4. **के. छगनलाल बोहरा**

   इतिहास एवं कई पुस्तकों तथा शोध-पत्रों के लेखक। इतिहास विषयक कई संगोष्ठियों में मुख्यवक्ता/सत्र-अध्यक्ष जैसे दायित्वों का निर्वहन। वर्तमान में भारतीय इतिहास संकलन समिति, राजस्थान के क्षेत्रीय संगठन सचिव।

5. **डॉ. संगीता कुमारी**

   अब तक इनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 'अटल बिहारी वाजपेयी का एक राजनेता के रूप में अध्ययन' विषय पर पीएच.डी.। भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा बिहार के महिला आयोग की सदस्य रही हैं। **सम्प्रति :** बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर (बिहार) में असिस्टेंट प्रोफेसर।

6. **डॉ. राकेश कुमार धाबाई**

   इतिहास एवं राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में एम.ए., 'राजस्थान में मन्दिर स्थापत्य' में राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की है। आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में आप सुबोध कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

7. **डॉ. रजनी मीणा**

   'राजपूताने के सैनिकों का विदेशी अभियान' विषय पर शोध कार्य, 'भारतीय संस्कृति की धाराएँ' तथा 'Economic and Social Life in Ancient India' पुस्तकों का लेखन एवं अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन। **सम्प्रतिः** राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, राजगढ़ के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विषय में असिस्टेन्ट प्रोफसर।

8. **अनीता यादव**

शिक्षा संबंधी दो पुस्तकें तथा सात शोध पत्र प्रकाशित। कई सेमिनार-संगोष्ठियों में पत्र वाचन। **सम्प्रतिः** एसएसजी पारीक पीजी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत।

9. **डॉ. वर्षा खण्डेलवाल**

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) में संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हैं। आपने 'संस्कृत नाटकों में कवि समय विमर्श-महाकवि कालिदास, भास एवं भवभूति के विशेष सन्दर्भ में' विषय पर पी.एच.डी. की है। आपके 3 शोध पत्र व 3 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं।

10. **नीतू कुमारी**

रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं एम.एड. उत्तीर्ण। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रही हैं। वर्तमान में एस.एस.जी. पारीक शिक्षा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं।

11. **कुसुमलता टीलावत**

हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में स्नातकोत्तर। वर्तमान में आप एस.एस.जी. पारीक शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

12. **डॉ. कृष्ण कुमार बासनीवाल**

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मल्लाना, राजगढ़ (अलवर) में व्याख्याता इतिहास (स्कूल शिक्षा) के पद पर कार्यरत। कई शोध पत्र छप चुके हैं। 'भारत में वंशलेखन परम्परा का उद्भव एवं विकास (प्रारम्भ से 1200 ई. तक)' विषय पर पीएच.डी.।

13. **सुमन देवी शर्मा**

हिन्दी व राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा एम.एड.। वर्तमान में आप एस.एस.जी. पारीक शिक्षा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

14. **डॉ. गीता पाराशर**

शिक्षा विषयक दो पुस्तकें तथा छः शोध पत्र प्रकाशित। सेमिनार-संगोष्ठियों में दस से ज्यादा पत्रों का वाचन। **सम्प्रतिः** एसएसजी पारीक पीजी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत।

15. **इन्द्रजीत भट्टाचार्य**

एक संग्रहालय विज्ञानी और संरक्षण विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी पीएच.डी. ''वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी : संग्रहालयों में 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)' की प्रासंगिकता और भूमिका' पर की है। अनुसंधान रुचि के अन्य क्षेत्र हैं: संग्रहालयों में स्वचालन और कलाकृतियों का संरक्षण, स्मारकीय वास्तुकला और इसकी व्याख्या, नए पुरातात्विक निष्कर्षों पर आधारित नए ऐतिहासिक सिद्धांत, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत में विज्ञान। प्रकाशित पत्र: 10, INTACH के साथ ''डिक्शनरी ऑफ मॉन्यूमेंट्स विद ओल्ड वॉल पेंटिंग्स इन जयपुर ओल्ड सिटी'' विषय पर कार्य, ब्राह्मी (पांडुलिपियों, मूर्तियों और सिक्कों पर), शारदा, सिंहल और जैन-नागरी लिपि में प्रवीणता। **सदस्यः** एम.ए.आई, आईकॉम इंडिया, ए.एस.एस.एस.आर, बी.आई.एस.एस।

16. **डॉ. गोपाल शरण गुप्ता**

पूर्व में इतिहास विषय के प्राध्यापक रहे। वर्तमान में अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान, जयपुर के सचिव पद पर कार्यरत। कई पुस्तकें तथा शोध पत्र प्रकाशित।

अनुक्रमणिका/ CONTENTS

		पृष्ठ संख्या
	संपादकीय ...	8
1.	**Revisiting Ancient India through Museum** - Indrajeet Bhattacharya	10
2.	**साक्ष्य कर रहे हैं, प्रताप की विजय घोषणा** - के. छगनलाल बोहरा	24
3.	**आधुनिक भारत के इतिहास में भरतपुर की निर्णायक भूमिका** - गुलाब बत्रा	33
4.	**भारतीय संस्कृति में ऋषि पराशर : एक समाजशास्त्रीय समीक्षा** - डॉ सुजीत सरोच	44
5.	**संत साधिकाओं की वाणी में प्रस्फुटित धार्मिक एवं सामाजिक चेतना** - डॉ. रजनी मीणा	57
6.	**स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक एवं सामाजिक चिंतन की उपयोगिता** - अनीता यादव एवं डॉ. गीता पाराशर	65
7.	**प्राचीन भारतीय वाङ्मय में राष्ट्रीय एकता के तत्व** - डॉ. वर्षा खण्डेलवाल	73
8.	**सांस्कृतिक चेतना में महापुरुषों का योगदान** - सुमन देवी शर्मा	80
9.	**सोरोजी के तीर्थ पुरोहित एवं वंशावली लेखन परम्परा** - डॉ. कृष्ण कुमार बासनीवाल	86
10.	**राजस्थानी साहित्य में दादू सम्प्रदाय के योगदान का ऐतिहासिक विवेचन** - डॉ. राकेश कुमार धाबाई	91
11.	**विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्धघुमन्तु जनजातियों का वर्तमानकालीन परिपेक्ष्य स्वरूप** - नीतू कुमारी	106
12.	**पंथनिरपेक्षता (Secularism)** - कुसुमलता टीलावत	111
13.	**भारतीय संविधान का पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) स्वरूप** - डॉ. संगीता कुमारी	117
14.	**धार्मिक असन्तुलन से सावधान** - प्रो. कैलाश सोडाणी	125
15.	**पुस्तक समीक्षा** - डॉ. गोपाल शरण गुप्ता	128
•	Guidelines for authors	130
•	Review & Publication Policy, Ethics Policy	133
•	शोध पत्र हेतु मुख्य विषय	134
•	संस्थान के प्रमुख प्रकाशन	137

संपादकीय

अल्पसंख्यक किसे माना जाए?

भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 29 का शीर्षक है- 'अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा' तथा अनुच्छेद 30 के शीर्षक में 'अल्पसंख्यकों के अधिकार' शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर इनका अर्थान्वयन किया जाए तो संविधान में 'भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने एवं उन्हें प्रशासित करने का अधिकार' दिया गया है। यह अधिकार बहुसंख्यक हिन्दुओं को प्राप्त नहीं है।

भारत के संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु, 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992' (National Commission for Minorities Act, 1992) की धारा 2(सी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने देश के छः धार्मिक समुदायों- मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई एवं जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के 11 जजों की पीठ ने 'टीएमए पाई फाउंडेशन' वाद (2002) में निर्णय दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर भाषा व धर्म के आधार पर (जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है) अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इनकी पहचान राज्य स्तर पर की जाएगी।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992' की धारा 2(सी) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है।

अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि इस प्रावधान के द्वारा हिंदू, बहाई एवं यहूदियों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि 'टीएमए पाई फाउंडेशन' वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक (आबादी में 50 प्रतिशत से कम) हैं वहाँ हिन्दुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए ताकि अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार, सुविधा और सहायता उन्हें भी मिल सके। याचिका में 2011 की जनगणना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि देश के छः राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं- मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, नागालैंड में 8.75 प्रतिशत, मेघालय में 11.53 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत, मणिपुर में 31.39 प्रतिशत, पंजाब में 38.4 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 28.44 प्रतिशत तथा लक्षद्वीप में 2.5 प्रतिशत ही हिंदू शेष बचे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के अधिकारों के साथ ही केन्द्र सरकार की विभिन्न 'अल्पसंख्यक कल्याण' योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे, 2014 के बाद से मुस्लिम, ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। उन्हें बैंक से

बहुत कम ब्याज पर ऋण, नि:शुल्क कोचिंग, सरकारी नौकरी हेतु चयन में सहायता, कौशल विकास, छात्रावास आदि कई केन्द्रीय योजनाओं में लाभ सहित राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक प्रकार की सुविधा, सहायता व लाभ दिया जाता है। केन्द्र द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य सरकारों को करोड़ों की राशि का आवंटन किया जाता है। उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था 'जामिया मिलिया इस्लामिया' विश्वविद्यालय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिला होने के कारण लगभग 50 प्रतिशत सीटों पर मुस्लिम समाज के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वहाँ जाति आधारित आरक्षण के नियम लागू नहीं होते।

अभी स्थिति यह है कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ईसाइयों की आबादी 85 प्रतिशत या इससे ज्यादा होने के बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक मानकर अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यही हाल जम्मू-कश्मीर एवं लक्षद्वीप का है, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों व सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, क्या उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अल्पसंख्यक घोषित कर अल्पसंख्यकों को अधिकार, सुविधाएँ व लाभ नहीं दिया जाना चाहिए?

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस देकर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जैसे महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था वैसे ही राज्य हिन्दुओं को धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। यानि हिन्दुओं को 6 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक का दर्जा आने वाले समय में मिल सकता है।

यह बात तो हुई कि कुछ राज्यों में जहाँ ईसाई या मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहाँ उन्हें अल्पसंख्यकों के अधिकार व सुविधाएँ देनी बंद कर वहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुओं को वे अधिकार, सुविधाएँ व लाभ दिया जाए, जो कि न्यायोचित है। परन्तु यक्ष प्रश्न तो फिर भी खड़ा हुआ है कि भारत के इतने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक अवस्था को प्राप्त क्यों हुआ? कभी तो इन सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक ही हुआ करते थे। आज भारत के 640 जिलों (2011 की जनगणना के समय) में से 102 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। धार्मिक जनसांख्यिकी में यह बदलाव सभी के लिए चिंता का विषय होना चहिए।

- रामस्वरूप अग्रवाल